15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

J 01040

Director

{ ओउम नमः शिवाय }

किस्म दस्तावेज	- बैनामा {सेल डीड} ।
भूमि का प्रकार	- कृषिक ।
वार्ड/परगना	- मौजा लकावली तहसील व जिला आगरा ।
आराजी का विवरण	- खसरा नं. 711, 712, 713, 732 में से विक्रय किया जा रहा है।
आराजी का प्रकार	- कृषिक ।
विक्रीत जमीन का क्षेत्रफल	- 0.4427 हेक्टेयर {[illegible]} में से 1/3 भाग 0.1[illegible] हेक्टेयर आराजी का विक्रय किया जा रहा है।
प्रतिफल की धनराशि	- 22,00,000/- रुपये ।
सरकारी मालियती	- 8,64,000/- रुपये ।
जमीन की सर्किल रेट	- 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर , जो कि सर्किल रेट सूची एस. आर. प्रथम पेज 13 के क्रमांक 13 पर अंकित है।

For Nand Estate

Director

Cashier

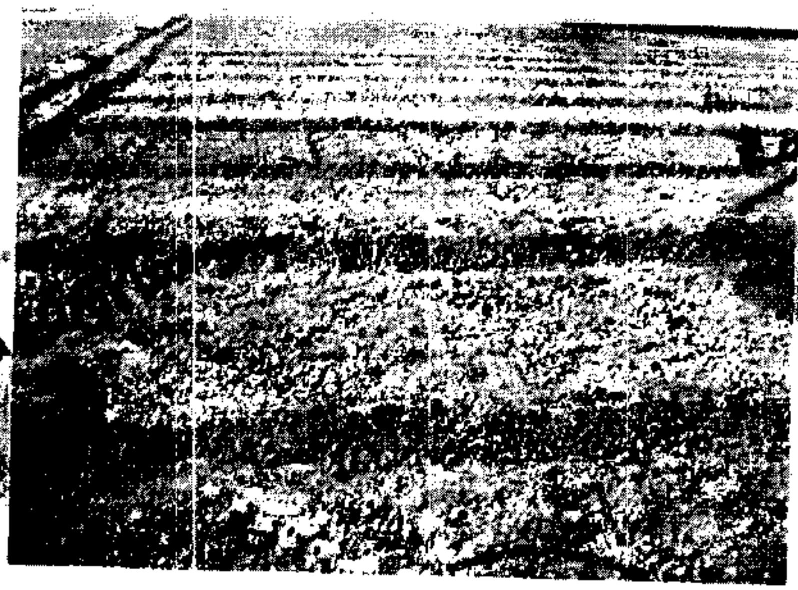

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 2 101039

0 AUG 2008
कोषाधिकारी
आगरा

देय स्टाम्प (15 पेज) - 1,55,000/- रुपये ।

आराजी के अन्तरण से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27(1) का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। विक्रीत आराजी का बैनामा को के नाम रजिस्टरी होने पर शासन के आदेश संख्या 2756 दिनांक 30-6-2008 के अनुसार स्टाम्प 7 प्रतिशत देय है कि जो नियमानुसार अदा किया गया है। विक्रीत आराजी मुख्य मार्ग से करीब 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है जो अविकसित क्षेत्र में है जो चार मीटर चौड़े दगड़े एवं रास्तो के सहारे है ।

पुराने सबूत-प्रथम पक्ष ने खसरा नम्बर 711 रकबई 0.1558 है. मैं से 0.1093 है. बैनामा दि. 3-12-2005 को व खसरा नम्बर 712 रकबई 0.1558 है. मैं से 0.1183 है. बैनामा दिनांक 3-12-2005 को व खसरा नम्बर 713 रकबई 0.1558 है. कुल को बैनामा दिनांक 28-11-2005 को व खसरा नम्बर 732 रकबई 0.385 है. मैं से 1/3 भाग यानी 0.1283 है. को बैनामा दिनांक 2-12-2005 को क्रय किया है इस प्रकार प्रथम पक्ष ने उपरोक्त बैनामों द्वारा कुल 0.5427 है. भूमि क्रय करके दाखिल खारिज करवाया जिसमें से 1/3 भागयानी 0.1876 है. आराजी विक्रय की गयी है।

For ... Ltd.
Director

2,200,000.00 738,000.00 5,000.00 20 5,020.00 800

प्रतिफल मालियत फ़ीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग

श्री / श्रीमती सुरेश कमल ... मुख्तार
पुत्र / पत्नी श्री पी एल ...
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी गांधी नगर आगरा
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक .../2009 समय 2:59PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया

ओ0पी0 कटेरिया
उपनिबन्धक ...
आगरा सदर

निष्पादन ...

श्री/श्रीमती सुरेश कमल पु0 मुख्तार
पुत्र/पत्नी श्री पी एल अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी गांधी नगर आगरा

श्री/श्रीमती थर्ड आई मीडिया प्रा.लि. द्वारा ...
पुत्र/पत्नी श्री भगवान दास दि.
पेशा व्यापार
निवासी कमला नगर आगरा

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 101038

01 AUG 2008
कोषाधिकारी
आगरा

हम कि नन्द एस्टेट डवलपर्स् प्रा. लि० द्वारा डायरेक्टर श्री नन्द किशोर मंधरानी पुत्र श्री दामोदर दास मंधरानी निवासी डी 67 कमला नगर शाहर आगरा। ———— विक्रेता/ प्रथम पक्ष।

एवम्

एई आई मोबिरा प्रा. लि. द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमल किशोर मिश्र पुत्र श्री भगवान दास मिश्र निवासी एफ 885 कमला नगर शाहर आगरा।

———— क्रेता/ द्वितीय पक्ष।

For Nand Estate ... Ltd.

Nand Gil...

Director

...

ने निष्पादन स्वीकार किया

जिनकी पहचान श्री नरेश चन्द

पुत्र श्री सुरेश चन्द

पेशा व्यापार

निवासी खन्धारी आगरा

व श्री राज कुमार

पुत्र श्री किशन सिंह

पेशा व्यापार

निवासी कोल्हाई शाहगंज आगरा

ने की।

[illegible] निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं

ओ0पी0 कटेरिया
उपनिबन्धक (तृतीय)
आगरा सदर
22/5/2009

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 101037

4

जो कि एक किता आराजी वाकै मौजा लकावली तहसील व जिला आगरा मि.जु. खसरा नं. 711, 712, 713, 732में से 0.1705हे. विक्रय किया जा रहा है रकबा कुल 0.4427 हेक्टेयर [illegible] मे से 0.1476 हेक्टेयर आराजी का विक्रय किया जा रहा है लगानी 24 रुपये 85 पैसे सालाना फसली सन 1415-1420 मुताबिक खतौनी दिनांक ———— के अनुसार उपरोक्त संपूर्ण कुल आराजी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रकबई 0.4427है. को चार किता पंजीकृत बैनामा द्वारा क्रय करके दाखिल खारिज कराया प्रथम पक्ष कम्पनी मालिक हुयी और प्रथम पक्ष रकबई 0.4427 है. मैं से

For Nand Estate ...

Director

Nand Estate ... Ltd.

Auth. Signatory

विक्रेता

Registration No 128 Year 2009 Book No

0101 सुरेश कंसल वहे0 मुख्तार

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1010036

5

0.1476 हेक्टेयर भूमि क्रेता द्वितीयपक्ष को विक्रय कर रही है इस प्रकार उक्त जमीन को विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी एकमात्र मालिक व स्वामी चली आती है जिस पर विक्रेता प्रथमपक्ष कम्पनी का ही कब्जा व दखल चला आता है सिवाय विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी के दीगर कोई हकदार व हिस्सेदार वगैरा नहीं है

For

Nand Kishore

Director

क्रेता

Registration No 3178 Year : 2000 Book No

0201 मे. आई मीडिया प्रा.लि. द्वारा कमल किशोर सिंह

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 101035

6

जो आज तक विक्रेता प्रथम पक्ष की ओर से हर प्रकार के कर्ज व बार व भार व बन्धक व ऋण व दान व जमानत व नालिश व नीलाम व हर प्रकार की समस्त देनदारी व जिम्मेदारी वगैरा से कतई पाक व साफ है प्रथम पक्ष ने विक्रीत जमीन

For Nand L...

Director

Third Party

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH J01031

2008
कोषाधिकारी
आगरा

7

की बाबत किसी अन्य व्यक्ति से कोई इकरारनामा आदि नहीं किया है न ही किसी बैंक या संस्था में बन्धक रखा है चूंकि इस समय प्रथमपक्ष को रुपयों की जरूरत है और जरूरत की पूर्ति करने के लिये उक्त कुल आराजी में से रकबा 0.1476 हैक्टेयर आराजी का विक्रय करना मंजूर है।

For [illegible]

Third [illegible]

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs 10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs 10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs 10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

G6AA 120362

8

लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाव किसी नाजायज के मय समस्त अधिकार व आधिपत्य व स्वामित्व सहित व बिना छोड़े किसी हक व अधिकार के मय दाखिला व खारिजी के आराजी खसरा नंबरों [illegible] मे से 0.1476 हेक्टेयर आराजी कुल की किल रकम मुबलिग 22,00,000/- बाईस लाख रुपये कि आधे जिसके मु0 11,00,000/- ग्यारह लाख रुपये होते हैं बदस्त

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs 10000 10000 रु. Rs 10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

9

थ्री आई मीडिया प्रा. लि. द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमल किशोर मिश्र पुत्र श्री भगवान दास मिश्र निवासी एफ 885 कमला नगर शहर आगरा उपरोक्त क्रेता द्वितीयपक्ष को बेच कर दी और बेच दी तथा कीमत का कुल रुपया विक्रेता प्रथम पक्ष ने खरीददार द्वितीय पक्ष से 22,00,000/- रुपया विभिन्न बैंक चेकों के द्वारा सम्पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है जिसको प्रथम पक्ष भली स्वीकार करते हैं अब कुछ पाना या लेना बाकी नहीं रहा है और नाही आईन्दा होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 575120

[illegible]
05 AUG 2008
कोषाधिकारी

10

लिहाजा कब्जा व हक मालिकाना विक्रीत जमीन आराजी के वाकई खाली पर प्रथम पक्ष ने खरीदार द्वितीय पक्ष का करा दिया और खरीदार को उक्त आराजी जमीन का एकमात्र तन्हा मालिक व स्वामी बना दिया है आज के बाद खरीदार को हक व अधिकार है कि वह उक्त भूमि मे हर मर्जी अपने

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 576121

11

चाहे जैसी काश्त वगैरा करें उसका लगान अदा करें जरिये बैनामा हाजा के अपने नाम का दाखिल खारिज करा ले तथा जब चाहे जिस व्यक्ति को चाहे जिस कीमत में कुल भाग में या किसी भाग में रहन बै हिबा विक्रय आदि जो चाहे सो करे अब कोई हक व हिस्सा व कब्जा व दखल बाकी

For ...

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 566349

31 JUL 2006
कोषाधिकारी
आगरा

12

नहीं रहा है और ना ही आइन्दा होगा उक्त जमीन स्कूल व राजकीय आस्थान की नहीं है जिसको राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया है ना ही कोई मुआवजा लिया गया है ना ही किसी वाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित की गयी है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31 JUL 2006

13

अगर भविष्य मे [illegible] वजह [illegible] किसी प्रकार [illegible] चूंकि विक्रेता प्रथम पक्ष की है [illegible] कोई [illegible] कब्जा व दखल खरीदार से निकल जावे [illegible] कोई रकम अदा करनी पडे या बैनामा हाजा मे किसी प्रकार का कोई कानूनी [illegible] आवे तो उस कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी विक्रेता प्रथमपक्ष की होगी खरीदार जिस प्रकार चाहे मय सूद के वसूल कर ले [illegible] एतराज न होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 566351

31 [illegible] 20[illegible]

कोषाधिकारी

आगरा

14

विक्रीत आराजी मे तथा उसके आस पास 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है और कृषि भूमि मे कुंआ बोरिंग पेड पौधा आबादी निर्माण आदि नही है विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के व्यक्ति नही है।

विक्रीत आराजी की सरकारी मालियत -8,64,000/- रुपया बनती है लेकिन खरीद कीमत 22,00,000/- रुपया पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से 1,55,000/- रुपया का स्टाम्प अदा किया गया है जिसमे सरकार को राजस्व का सरासर फायदा है।

नोट :-
====

विक्रेता प्रथम पक्ष नन्द किशोर मंधरानी ने सुरेश कंसल पुत्र श्री पी.एल. अग्रवाल निवासी 26 गांधी नगर आगरा को यह दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये मुख्तारनामा तस्दीक द्वारा नियुक्त किया है जिसको रजिस्टर्ड श्रीमान उप रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम आगरा मे विधिवत दर्ज है जिसके द्वारा प्रथमपक्ष ने अपने द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया है जो आज तक प्रभावी है कैन्सिल नही हुआ है जिसमे दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधिकारों मे आज तक कोई कमी नही आयी है।

नोट पर्त 1 की सतर 4 में खि.खसरा नं. 711, 712, 713, 732 गलत है व सतर 7 में 0.9427 गलत है व हेक्टेयर व में से [illegible] कटा है जो मंजूर है।

[signature]

[signature]

कार्यालय उपनिबन्धक, आगरा

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन में
विक्रेता/क्रेता के फिंगर प्रिन्ट्स

1. विक्रेता का नाम व पता [illegible]

[illegible]

[illegible]

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बाँये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

2. क्रेता का नाम व पता [illegible] द्वारा [illegible]

[illegible]

[illegible]

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बाँये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 5 AUG 2008

15

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख- 06-05-2009 ई० व मसौदा सुरेश कंसल एडवोकेट, प्रधानता सदर तहसील आगरा दस्तावेज हाजा पक्षकारान के कहेअनुसार तहरीर व टाईप की गयी है दस्तावेज पर चस्पा फोटो व हस्ताक्षरों की शनाख्त गवाहों ने की है। नोट पर्त एक की सतर 8 में 0.1676 गन्टा है व पर्त 4 की सतर 2 में 711, 712, 713, 732 में से 0.1705 है. गन्टा है व सतर 3 में है. के बाद कटा है व सतर 5 में शब्द सम्पूर्ण गन्टा है [illegible] 6 लगाया in हा टाईप से सम्पूर्ण कटी है व पर्त 8 की सतर 4 नम्बर [illegible] बाद कटा है [illegible] मंजूर है।

Third Eye Media Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

गवाह नं0 1-

नरेश चन्द पुत्र श्री सुरेश चन्द

निवासी- [illegible] आगरा।

गवाह नं0 2-

अनुराग कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द

निवासी- राजामण्डी आगरा।

[illegible] Agrawal

[illegible] Advocate

Sadar Tehsil, AGRA

आज दिनांक 22/05/2009 को

बही सं 1 जिल्द सं 2535

पृष्ठ सं 339 से 372 पर क्रमांक 3128

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ0पी0 कठेरिया

उपनिबन्धक (तृतीय)

आगरा सदर

22/5/2009

एक किता आराजी खसरा सं. 711, 712, 713 व 732 वाके
व मौजा लकावली तह. व जिला आगरा

विक्रेता :- नन्द एस्टेट डवलपर्स (प्रा.) लि. द्वारा डायरेक्टर
नन्द किशोर मंघरानी

क्रेता :- थर्ड आई मीडिया (प्रा.) लि. द्वारा अधिकृत
प्रतिनिधी कमल किशोर किंज

रकबा :- 0.4427 हे. में से 1/3 भाग यानि 0.1476 हे.

लाल रंग में दर्शाया है

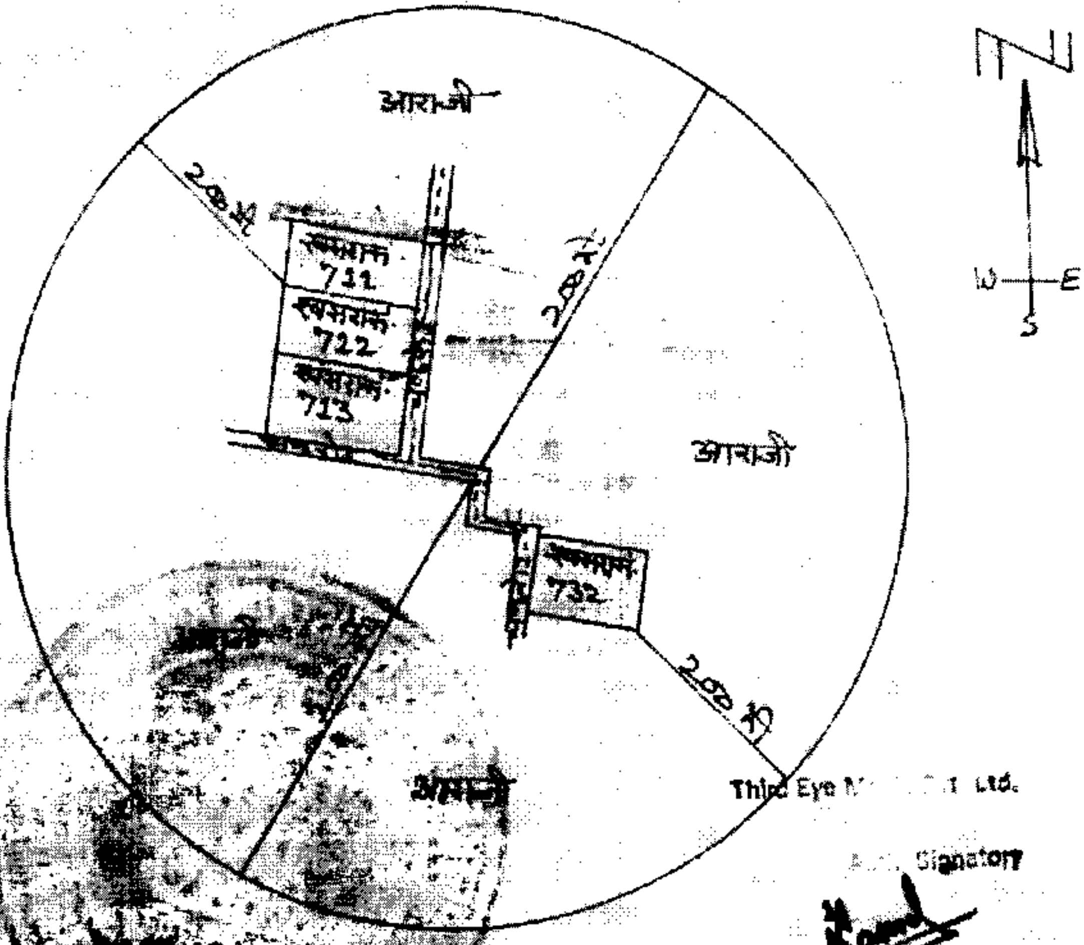

Third Eye M... Ltd.
... Signatory

...Estate Developers (P) Ltd.
Director

L. No. ... D.C./99

3128/09